सं0-6/2018/203/29-3-2018-32 विविध/2016

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2018

विषय-प्रदेश में अनाज भण्डारण हेतु स्टील साइलो(गोदाम)निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-486/अ0आ0(वि0)/स्टील साइलो/2017-18 दिनांक 25-1-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अनाज भण्डारण के संबंध में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत पी0पी0पी0 मॉडल पर स्टील साइलो(गोदाम)के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) साइलो निर्माण हेतु राज्य भण्डारण निगम/राज्य के पास जहां भूमि उपलब्ध होगी वहां वी0जी0एफ0 पद्धति में एवं जहां भूमि उपलब्ध नहीं होगी वहां नॉन वी0जी0 एफ0 पद्धति में साइलो निर्माण किया जायेगा।

(2) साइलो के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्फेसिफिकेशन/मानक ही रहेगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गत आर0एफ0पी0 एवं आर0एफ0क्यू0 के अनुसार ही गुणवत्ता/ मानक निर्धारित किये जायेंगे। साइलो के निर्माण हेतु भूमि का क्षेत्रफल तथा अन्य शर्तें भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी।

(3) साइलो के निर्माण हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर0एफ0पी0) एवं रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आर0एफ0क्यू0) तथा अन्य शर्तें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की शर्तों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

(4) आयुक्त्, खाद्य एवं रसद विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसके द्वारा साइलो के निर्माण के संबंध में स्थान, जहां साइलो का निर्माण होना है, का चिन्हीकरण कर भारतीय खाद्य निगम की स्टेट लेवल कमेटी (SLC) को प्रस्ताव भेजा जायेगा। समिति का स्वरूप निम्नवत होगा:-

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग- अध्यक्ष।
2. निदेशक, मण्डी परिषद- सदस्य।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा नामित अधिकारी, जो विशेष सचिव से न्यून न हो- सदस्य।
4. प्रबन्ध निदेशक, राज्य भण्डारण निगम- सदस्य सचिव।
5. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम- सदस्य।
6. अपर आयुक्त (विपणन) खाद्य एवं रसद विभाग- सदस्य।
7. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग- सदस्य।
8. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित अधिकारी (मुख्य अभियन्ता से अनिम्न स्तर)- सदस्य।
9. रेलवे विभाग के प्रतिनिधि- सदस्य।

उक्त समिति साइलो निर्माण का नियमित अनुश्रवण करेगी व शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेगी। उक्त समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य की जायेगी। समिति यथावश्यक भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम एवं स्थानीय अधिकारियों से समन्वय भी स्थापित करेगी।

(5) राज्य सरकार / राज्य एजेन्सी द्वारा स्टोरेज गैप के आधार पर एवं ऐसे स्थान जहां पर भारतीय खाद्य निगम स्टील साइलो का निर्माण नहीं कर रहा हो तथा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किये गये स्टोरेज गैप के आंकलन के आधार पर स्थान चिन्हित करते हुए स्टील साइलो का निर्माण कराया जायेगा। चिन्हित स्थान को अंतिम रूप भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर गठित स्टेट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लेवल कमेटी (SLC) के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव पर भारतीय खाद्य निगम की हायर लेवल कमेटी (HLC) द्वारा दिया जायेगा।

(6) चूंकि राज्य एजेन्सियों द्वारा साइलो का निर्माण किया जायेगा, अतएव क्रय किये गये गेहूँ के भण्डारण व जनवितरण प्रणाली में गेहूँ की मांग के दृष्टिगत स्टोरेज गैप का आंकलन करते हुए स्थान का चयन किया जायेगा। इस हेतु रेलवे साइडिंग की अनिवार्यता नहीं होगी, किन्तु साइलो का निर्माण ऐसे स्थानों पर होगा जहां से माल वाहक भारी वाहनों का आवागमन सुविधाजनक हो। रेलवे साइडिंग की आवश्यकता के बिन्दु पर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यथा आवश्यकता विचार कर प्रत्येक स्थान हेतु आवश्यक संस्तुति की जायेगी।

(7) साइलो गोदाम का निर्माण राज्य भण्डारण निगम द्वारा किया जायेगा, अतएव उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम को नोडल / कान्ट्रेक्टिंग राज्य एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है, जिसके द्वारा साइलो निर्माण हेतु टेण्डर निकालने आदि का कार्य किया जायेगा। नोडल एजेन्सी द्वारा तकनीकी सहयोग हेतु कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति की जा सकेगी। कन्सल्टेन्ट फीस एवं विज्ञापन प्रकाशन आदि सामान्य खर्चों का भुगतान चयनित निविदादाता द्वारा किया जायेगा और यदि निविदा चयनित नहीं हो पाती है, तो इस पर आने वाल व्यय का वहन उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम (नोडल एजेन्सी) द्वारा किया जायेगा। स्टेट लेवल कमेटी (SLC) के माध्यम से प्रस्ताव पर हायर लेवल कमेटी (HLC) द्वारा ही टेण्डर आदि की अन्तिम स्वीकृति दी जायेगी।

(8) साइलो हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिकतम 30 वर्ष की स्टोरेज गारन्टी दी जायेगी तथा भारतीय खाद्य निगम की दरों पर किराया निर्धारित होगा।

(9) साइलो गोदाम के निर्माण एवं रख-रखाव के संबंध में आने वाले व्यय भार के वहन से सहकारिता विभाग का कोई संबंध नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) साइलो निर्माण के संबंध में यदि नीति से विचलन का कोई प्रकरण आता है, अथवा अन्य कोई कठिनाई अनुभव की जाती है, तो मा0 मुख्य मंत्री जी निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

3- कृपया उक्तानुसार लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में स्टील साइलो (गोदाम) निर्माण के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ ।
6- निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 लखनऊ ।
8- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।